संख्या-1476/2025/1880/22-2-2024-17(644)/2025

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 *लखनऊ: दिनांक 04 दिसम्बर, 2025*

विषय:- केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बच्चन सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह, निवासी जनपद-बदायूँ की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार के पत्र संख्या-30216/प्रोबे0-5-दया0/बैठक-16.09.2024, दिनांक 07.10.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बच्चन सिंह पुत्र श्री नत्थू सिंह, ग्राम थिरिया, थाना-फेजगंज बहेटा, जनपद-बदायूँ का निवासी है। बन्दी द्वारा ईख के खेत से घास काटने के विवाद को लेकर दिनांक 25.07.2002 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर लाठी, डण्डा व तमंचा से मारकर गिरीश नामक व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बंदी को सत्र परीक्षण संख्या-103/2003 में भा0द0वि0 की धारा-302/34,323/34 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (आव0 बस्तु अधिनियम), बदायूँ के दण्डादेश दिनांक 28.03.2019 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसकी अपील मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 03.01.2023 द्वारा निर्णीत करते हुए आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया, बंदी द्वारा दिनांक 17.08.2024 तक अपरिहार 01 वर्ष, 08 माह, 06 दिन तथा 01 वर्ष 11 माह, 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की 65 वर्ष 10 माह की आयु एवं बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष कम सजा भोगे जाने, समयपूर्व रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किये जाने के दृष्टिगत, सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, बरेली में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी बच्चन सिंह (बन्दी संख्या-50644) पुत्र श्री नत्थू सिंह, निवासी जनपद-बदायूँ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1476/2025/1880(1)/22-2-2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बदायूँ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in